

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4  
संख्या-132/2020/1785/20-27-सिं0-4-60(डब्ल्यू)/16  
लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2020

**कार्यालय-आदेश**

श्री अनिल गर्ग, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन को उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के संचालन हेतु अध्यक्ष, पैकट के पद पर नियुक्ति विभाग से नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में अध्यक्ष, पैकट का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है।

2. सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पद के साथ-साथ श्री गर्ग द्वारा अध्यक्ष, पैकट के अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन तात्कालिक प्रभाव से किया जायेगा। उक्त अतिरिक्त कार्यों हेतु कोई वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

टी० वेंकटेश  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-132/2020/1785(I)/20-27-सिं0-4, तददिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्री अनिल गर्ग, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
4. निजी सचिव, मा० जल शक्ति मंत्री/मा० राज्य मंत्री, जल शक्ति विभाग, उ०प्र०।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
6. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (पैकट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद  
विशेष सचिव।